न्यायालय : सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़, जिला— अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शांतनु सिंह खंगारोत R.J.S.

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या : 23/74/2016
सी.आई.एस. नम्बर : 432/2017
एफआईआर सं. : 17/2016
पुलिस थाना : टहला

राजस्थान राज्य **बनाम** कमरूदीन

अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता

भाग—1
अ

शिकायतकर्ता	श्री जोहरीलाल
अधिवक्ता परिवादी	सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व विवरण	कमरूदीन पुत्र निजाय, उम्र 35 वर्ष, निवासी ढिगावडा पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर।
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री गंगाप्रसाद पालीवाल

भाग —2
अभियोजन साक्ष्य एवं बचाव पक्ष के साक्षीगण की सूची

अ. अभियोजन साक्षीगण

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार, (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)**
पी.डबल्यू 01	जोहरीलाल	परिवादी
पी.डबल्यू 02	अशोक	पंच साक्षी
पी.डबल्यू 03	फकीरचंद	पंच साक्षी
पी.डबल्यू 04	पिंकी	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
पी.डबल्यू 05	राधा	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
पी.डबल्यू 06	देवीसहाय	पुलिस साक्षी
पी.डबल्यू 07	सुखराम	पंच साक्षी
पी.डबल्यू 08	मुंशीराम	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
पी.डबल्यू 09	डॉ0 जीपी मीना	चिकित्सीय साक्षी

ब. बचाव साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार, (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)
निल	निल	निल

अभियोजन व बचाव पक्ष के प्रदर्श की सूची

अ. अभियोजन पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण	गवाह जिसके द्वारा प्रदर्शित करवाया गया
1	प्रदर्श पी 01	तहरीरी रिपोर्ट	pw-01, 06
2	प्रदर्श पी 02	चाक एफआईआर	pw-01, 06
3	प्रदर्श पी 03	नक्शामौका	pw-01, 06
4	प्रदर्श पी 04	फर्द निरीक्षण अस्थाई सुपुदर्गी मो0सा0	pw- 01, 06
5	प्रदर्श पी 05	फर्द जब्ती टैम्पो	pw-02, 03, 06
6	प्रदर्श पी 06	फर्द जब्ती कागजात टैम्पो	pw-02, 03, 06
7	प्रदर्श पी 07	चोट प्रतिवेदन पिंकी	pw-04
8	प्रदर्श पी 08	चोट प्रतिवेदन राधा	pw-05
9	प्रदर्श पी 09	133 एमवी एक्ट का नोटिस	pw-06
10	प्रदर्श पी 10	134 एमवी एक्ट का नोटिस	pw-06
11	प्रदर्श पी 11	मैकेनिकल मुआयना	pw-07
12	प्रदर्श पी 12	पुलिस बयान मुंशीराम	pw-08
13	प्रदर्श पी 13	एक्सरे रिपोर्ट पिंकी	pw-09
14	प्रदर्श पी 14	एक्सरे रिपोर्ट राधा	pw-09

15	प्रदर्श पी 15	एक्सरे प्लेट पिंकी	pw-09
16	प्रदर्श पी 16	एक्सरे प्लेट राधा	pw-09

ब. बचाव पक्ष

क्रमांक	**प्रदर्श क्रमांक**	**विवरण**
निल	निल	निल

नि र्ण य **दिनांकः 06.04.2026**

01. इस आपराधिक प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी जोहरीलाल ने एक तहरीरी रिपोर्ट पुलिस थाना टहला में इस आशय की पेश की कि दिनांक 04.01.2016 को समय करीब दो बजे दोपहर को उसकी बच्चे पिंकी व राधा राजोरा बिगोता चावंड माता के जा रही थी। रास्ते में सामने एक लोडिंग टैम्पू नंबर आरजे 29 जीए 0692 का चालक अपने टैम्पू को तेजगति व लापरवाही से चलाकर लाया व मो0सा0 नंबर आरजे 02 एसडी 7535 में टक्कर मार दी, जिससे उसकी दोनो बच्ची के चोटे आई जिन्हें ईलाज हेतु राजगढ लाए जहां से उन्हें अलवर व अलवर से जयपुर एसएमएस रैफर कर दिया..... इत्यादि। रिपोर्ट पर पुलिस थाना टहला में एफ.आई.आर नं 17/2016 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया व बाद अनुसंधान अभियुक्त कमरूदीन के विरूद्व अपराध धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

02. अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा0दं0सं0 का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो उसने सुन व समझ कर अपराध अस्वीकार किया एवं अन्वीक्षा चाही।

03. साक्ष्य अभियोजन समाप्त की गई। अभियुक्त के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0स0 लेखबद्व किये गये। प्रतिरक्षा साक्ष्य में कोई गवाह पेश नहीं करना चाहा जिसपर प्रतिरक्षा साक्ष्य बन्द की गई।

04. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित कथित कर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

05. इसके विपरित अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त का अपराध में संलिप्त नहीं होना जाहिर करते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

06. बहस अंतिम सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है किः—

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 04.01.2016 को समय करीब दोपहर के 02.00 बजे राजोरा बिगोता रोड पर अपने टैम्पू नंबर आरजे 29 जीए 0692 को तेजगति व लापरवाही से चलाकर सामने से आ रही मो0सा0 नंबर आरजे 02 एसडी 7535 के टक्कर मारी, जिसकी वजह से परिवादी की दोनो पुत्री पिंकी व राधा के साधारण एवं गंभीर प्रकृति की चोटे आई। इस प्रकार अभियुक्त ने धारा 279, 337, 338 भा0दं0सं0 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है?

2. यदि हॉ तो उसका उपयुक्त दण्ड क्या होगा ?

07. हस्तगत प्रकरण का उद्गम परिवादी जोहरीलाल द्वारा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी1 पुलिस थाना टहला में दिए जाने से हुआ। उक्त तहरीर के संदर्भ में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 04.01.2016 को समय करीब दो बजे दोपहर को उसकी बच्ची पिंकी व राधा राजोरा बिगोता चावंड माता के जा रही थी। रास्ते में सामने एक लोडिंग टैम्पू नंबर आरजे 29 जीए 0692 का चालक अपने टैम्पू को तेजगति व लापरवाही से चलाकर लाया व मो0सा0 नंबर आरजे 02 एसडी 7535 में टक्कर मार दी, जिससे उसकी दोनो बच्ची के चोटे आई जिन्हें ईलाज हेतु राजगढ लाए जहां से उन्हें अलवर व अलवर से जयपुर एसएमएस रैफर कर दिया.....इत्यादि। उक्त परिवादी प्रकरण में **गवाह पी.ड.1** के रूप में परीक्षित हुआ है, जो स्वयं के मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से जाहिर करता है कि ''दिनांक 04.01.2016 को मेरी पुत्री पिंकी व राधा मेरी मोटरसाइकिल होण्डा प्लस नंबर आरजे 02 एसडी 7535 से बीघोता चावण्ड माता के जा रही थी, जैसे ही वे दिन के करीब 2 बजे बीघोता नदी के पास मोड़ पर पहुंची तो बीघोता की तरफ से आ रहे एक लोडिंग टेम्पो नंबर आरजे 29 जी.ए. 0692 का चालक टेम्पो का तेज गति व लापरवाही से चलाता हुआ लाया और मेरी पुत्रियों की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मेरी पुत्रियां नीचे गिर गई तथा पिंकी के सिर व हाथ में व राधा के छाती पर चोट आई थी। फिर मेरे पास बीघोता गांव के हेमचंद ने फोन पर सूचना दी, जिस पर मैं मौके पर गया और मेरी पुत्रियों को राजगढ़ हॉस्पीटल लेकर आया, जिस पर राजगढ़ से अलवर व अलवर से जयपुर रैफर कर दिया था, जहाँ दोनों का ईलाज चला था। घटना की मैंने रिपोर्ट करवाई जो प्रदर्श पी. 01 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी. 02 है। पुलिस घटना स्थल पर आई थी और नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी. 03 है। पुलिस ने मेरी क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल होण्डा प्लस नंबर आरजे 02 एसडी 7535 को बाद निरीक्षण मुझे अस्थाई सुपुर्दगी पर दिया, जिन सभी फर्दों पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।'' साथ ही स्वयं की **जिरह** में मुख्य रूप इस तथ्य को स्वीकार करता है कि उसने घटना नहीं देखी है तथा दुर्घटना कारित करने वाला टेम्पो तेज गति व लापरवाही से आने बाबत बात उसने लोगों के कहेनुसार बताया है, उसने नहीं देखा था। वह टेम्पों के चालक का नाम नहीं जानता है और ना ही शख्ल से जानता है। गवाह यह स्वीकार करता है कि उसकी पुत्री जो मोटरसाइकिल चला रही थी, उसके पास चालक लाईसेंस था। उसने उसकी पुत्री पिंकी का हाथ व दांत टूटने वाली बात एफआईआर में नहीं लिखाई है जो क्यों नहीं लिखाई है आज उसे पता नहीं है। वह घटना के एक घंटे बाद मौके पर पहुंचा था। उसे घटना की सूचना हेमचंद व रमेश चंद ने दी थी। **इस प्रकार** गवाह की साक्ष्य से स्पष्ट है कि उसने घटना देखी नही है। गवाह स्पष्ट रूप से जाहिर करता है कि वह अन्य लोगो के कहे

अनुसार तेजगति व लापरवाही से आने की बात बता रहा है। गवाह ने टैम्पो चालक को भी नही देखा है। गवाह की साक्ष्य से दर्शित होता है कि उसे घ ाटना की सूचना हेमचंद व रमेशचंद नामक व्यक्तियो ने दी थी। ऐसी परिस्थिति में गवाह की साक्ष्य से अभियोजन कहानी का समर्थन नही होता है।

08. परिवादी ने जाहिर किया है कि उसकी पुत्री पिंकी व राधा के दुर्घटना में चोटे आई थी। उक्त पिंकी व राधा प्रकरण में गवाह पी.ड.4 एवं पी.ड.5 के रूप में परीक्षित हुई है। **गवाह पी.ड.4 पिंकी** ने स्वयं के मुख्य परीक्षण मे मुख्य रूप से जाहिर किया है कि ''दिनांक 04.01.2016 को समय करीब दोपहर 1.00—1.30 बजे की बात है। मैं और मेरी बहन राधा मोटरसाईकिल से राजपुर से बीघोता चावंड माता के जा रहे थे। मोटरसाईकिल मै चला रही थी और मोटरसाईकिल हमारी थी। मोटरसाईकिल के नंबर मुझे ध्यान नही है। जब सकट से आगे बीघ ोता रोड पर अपनी साइड में सामने से एक पिकअप गाडी आ रही थी जो पिकअप को ढेडा—मेढा चलाकर लाया और मेरी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी। टक्कर मारने वाली पिकअप के नंबर आरजे 29 0692 है। टक्कर से मैं व मेरी बहन दोनो के सिर पर चोट आई थी। मेरे सिर में चोट आई थी एवं दांया हाथ फेक्चर हो गया तथा दांहिने पैर में भी चोट आई थी। मेरी बहन के आंख व सिर में चोटे आई थी। मेरी चोटो का मेडिकल मुआयना हुआ था। जो प्रदर्श पी 7 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। हमारे गंभीर चोटे आई थी। मेरे मम्मी—पापा राजगढ़ लेकर आया थे जहां से अलवर रैफर कर दिया तथा अलवर से जयपुर रैफर कर दिया जहां पर हमारा एसएमएस में इलाज हुआ था।'' उक्त गवाह **जिरह** मे जाहिर करती है कि उनकी गाडी की स्पीड 30—40 थी। गवाह यह स्वीकार करती है कि जब सामने से गाडी आई तो वे घबरा गए थे। वह चालक को नहीं जानती और ना ही शक्ल से जानती है क्योंकि वो भाग गया था। उसे नहीं पता कि पुलिस वालों ने चालक को बदल दिया हो। **इस प्रकार** उक्त गवाह भी टैम्पो चालक की पहचान उजागर नही करती है। गवाह ने पिकअप के नंबर आरजे 29 0692 होना बताया है।

09. इसी प्रकार **गवाह पी.ड.5 राधा** ने भी स्वयं के मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से गवाह पी.ड.4 के कथनो की ही पुनर्रावृत्ति की है। उक्त गवाह भी **जिरह** में जाहिर करती है कि एक्सीडेंट के बाद में उसे पिकअप के चालक के बारे में कोई जानकारी नही है। **ऐसी परिस्थिति** में उक्त दोनो गवाह जो कि प्रकरण में मजरूबा एवं चश्मदीद गवाह है, के द्वारा दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के नंबर बताए गए है, किंतु उनके द्वारा वाहन के चालक की पहचान को उजागर नही किया गया है।

10. **गवाह पी.ड.8 मुंशीराम** तथाकथित रूप से घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में परीक्षित हुआ है, जो स्वयं के मुख्य परीक्षण में दुर्घटना में किसी के चोट आई या नही, की जानकारी होने से इंकार करता है। उक्त गवाह को अभियोजन पक्ष की ओर से पक्षद्रोही घोषित करवाया गया है, जिसने स्पष्ट रूप से इस तथ्य से इंकार किया है कि उसके चाचा जोहरीलाल की मो0सा0 के टैम्पो नंबर आरजे 29 जीए 0696 के चालक ने तेजगति व लापरवाही से टक्कर मारी हो। **गवाह पी.ड.2 अशोक कुमार** फर्द जब्ती वाहन एवं कागजात प्रदर्श पी5 व पी6 का औपचारिक गवाह है, जो स्वयं की **जिरह** में खाली कागजो पर हस्ताक्षर होना जाहिर करता है। साथ ही उसके सामने कोई टैम्पो जब्त नही होना जाहिर करता है। **गवाह पी.ड.3 फकीरचंद** भी प्रदर्श पी5 एवं 6 का

औपचारिक गवाह है, जो स्वयं की **जिरह** में वाहन नारायणपुर बीगोता रोड से जब्त करना जाहिर करता है, जबकि प्रदर्श पी5 फर्द जब्ती वाहन के अनुसार दिनांक 14.02.2016 को वाहन मालिक ने उक्त वाहन अनुसंधान अधिकारी को लाकर पेश किया था। ऐसी परिस्थिति में गवाह पी.ड.3 की जिरह में भी सारभूत विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। **गवाह पी.ड.7 सुखराम** मैकेनिकल मुआयना करने वाला औपचरिक गवाह है, जिसने दिनांक 14.02.2016 को जब्तशुदा टैम्पो का मैकेनिकल मुआयना किया था, जबकि दुर्घटना दिनांक 04.01.2016 को घटित हुई थी। ऐसी परिस्थिति में एक माह के उपरांत किए गए मैकेनिकल मुआयने में वाहन पर एक्सीडेंट के निशान अभियोजन कहानी का समर्थन नही करते है। **गवाह पी.ड.9 डॉ0 जीपी मीना** के द्वारा मजरूबान के शरीर पर आई चोटो का मेडिकल मुआयना किया गया था।

11. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **गवाह पी.ड.6 देवीसहाय** प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जो स्वयं की साक्ष्य में दौराने अनुसंधान गवाहान की उपस्थिति में घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी3 बनाए जाने, परिवादी की मो0सा0 को अस्थाई सुपुदर्गी प्रदर्श पी6 पर दिए जाने, दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन टैम्पो आरजे 02 जीए 0692 को जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श पी5 जब्त किए जाने, वाहन के कागजात जब्त किए जाने, गवाहान के बयान लेखबद्ध किए जाने, वाहन स्वामी भजनलाल को नोटिस अंतर्गत धारा 133 एमवी एक्ट देकर जवाब प्राप्त किए जाने, संपूर्ण अनुसंधान में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाने का कथन करते हुए आरोपपत्र पेश करने की साक्ष्य दी है। उक्त गवाह **जिरह** में जाहिर करता है कि वाहन दुर्घटनास्थल पर नही था तथा टैम्पो मालिक ने स्वयं थाने पर आकर दिया था। गवाह यह भी जाहिर करता है कि उसने टैम्पो के मालिक को नाम के आधार पर ही बुलाया था। ऐसी परिस्थिति में इस तथ्य के संदर्भ में भी विरोधाभास उत्पन्न हुआ है कि वाहन घटनास्थल से जब्त किया गया था अथवा स्वयं वाहन मालिक ने लाकर दिया था।

12. पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि किसी भी चश्मदीद गवाह ने घटना के वक्त चालक की पहचान उजागर नही की है। इस संदर्भ में अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किए गए न्यायिक दृष्टांत **Sangram Singh Vs. State of Raj. S.B. Cri. revision Petition No-82 of 1987** का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित किया गया है कि ''भारतीय दण्ड संहिता, 1860, धारा 304ए लापरवाही व असावधानी से जीप चलाते हुये मृत्यु कारित करने का आरोप – अधीनस्थ न्यायालय ने यह निष्कर्ष सही नहीं निकाला कि अभियुक्त प्रार्थी ही दुर्घटना के समय चालक था धारा 304 ए में दोषसिदि के लिए सबसे पहिले यह सिद्ध करना आवश्यक है कि अभियुक्त दुर्घटना के समय मोटरयान का चालक था और तत्पश्चात् ही यह प्रश्न उठता है कि क्या वह मोटर को लापरवाही व उतावलेपन से चला रहा था – अभियुक्त–प्रार्थी को धारा 304 ए के आरोप से दोषमुक्त किया गया।'' अतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 04.01.2016 को समय करीब दोपहर के 02.00 बजे राजोरा बिगोता रोड पर अपने टैम्पू नंबर आरजे 29 जीए 0692 को तेजगति व लापरवाही से चलाकर सामने से आ रही मो0सा0 नंबर आरजे 02 एसडी 7535 के टक्कर मारी, जिसकी वजह से परिवादी की दोनो पुत्री पिंकी व राधा के साधारण एवं गंभीर

प्रकृति की चोटे आई। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

:: आदेश ::

13. अतः अभियुक्त कमरूदीन पुत्र निजाय, उम्र 35 वर्ष, निवासी ढिगावडा पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

14. हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा वाहन एवं उसके कागजात पूर्व से सुपुर्दगीनामें एवं जमानतनामे पर है, बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा स्वतः निरस्त समझे जावे।

15. अभियुक्त के न्यायालय में नियमित हाजिरी बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। अभियुक्त धारा 437 ए सी.आर.पी.सी. के तहत अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति हेतु 6 माह की अवधि तक प्रभावी 10000—10000 रूपए के जमानत व बंधपत्र पेश करें।

(शांतनु सिंह खंगारोत)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राजगढ, जिला अलवर

16. निर्णय आज दिनांक 06.04.2026 को विवृत न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(शांतनु सिंह खंगारोत)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राजगढ, जिला अलवर